

तारीख हुक्म

हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
2014/00005नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

15.11.2019

प्रार्थी अधिवक्ता :- श्री जे.के. पारीक अप्रार्थी रमजान मौहम्मद  
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ अपीलार्थी अभिभाषक श्री वैभव पारीक उपस्थित व अप्रार्थी अधिवक्ता श्री रमजान मोहम्मद उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व रखी जाती है।


  
**संभागीय आयुक्त**  
अजमेर

29.11.2019

पत्रावली निर्णयार्थ पेश हुई। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांकित 12.12.2013 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया है कि दिनांक 10.12.2013 को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी। बहस अपील के दौरान प्रार्थी/अपीलार्थी अभिभाषक अन्य न्यायालय में बहस में व्यस्त होने के कारण बरवक्त बहस न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो सका बाद में उपस्थित होने पर पता चला कि अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है। प्रार्थी/अपीलार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी को यह आश्वासन दे रखा था कि हर तारीख पेशी पर प्रार्थी को आने की आवश्यकता नहीं है और जब भी जरूरत होगी तो सूचना कर देंगे। इस कारण से प्रार्थी नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हो सका। अतः न्यायहित में प्रार्थी का बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील को पुनः पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर की जावें।

बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अपीलार्थी अभिभाषक की बहस का प्रत्युत्तर देते हुए अप्रार्थी/प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर एतराज व्यक्त करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य असत्य है। तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा एक अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अपर जिला कलक्टर नागौर दिनांकित 30.11.2002 अर्न्तगत अपील संख्या 25/2002 बउनवान शेर मौहम्मद बनाम हुरमत बानो के विरुद्ध न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर में प्रस्तुत की गई जिसका प्रकरण संख्या 44/2003 बउनवान हुरमत बानो बनाम शेर मौहम्मद है। यह अपील दिनांक 27.10.2007 को अपीलार्थी व उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। अपील संख्या 44/2003 को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अभिभाषक एक बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण संख्या 07/2007 बउनवान हुरमत बानो बनाम शेर मोहम्मद है। यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 07/2007 भी दिनांक 10.12.2013 को प्रार्थी/अपीलार्थी एवं उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा खारिज कर दिया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 03/2014 बउनवान हुरमत बानो बनाम शेर मोहम्मद, के अवलोकन से यह कही प्रकट नहीं होता है कि यह बाजदायरी

  
**संभागीय आयुक्त**  
अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2014/00005	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>प्रार्थी अधिवक्ता :- श्री जे.के. पारीक अप्रार्थी रमजान मौहम्मद</p> <p>प्रार्थना पत्र मूल अपील संख्या 44/2003 बउनवान हुरमत बानो बनाम शेर मौहम्मद मे प्रस्तुत किया गया है अथवा बाजदायरी प्रार्थना पत्र, बा.दा.प्रकरण संख्या 07/2007 मे प्रस्तुत किया गया है ? मूल अपील मे प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र एक मर्तबा खारिज कर दिया गया तो दोबारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र मूल अपील को रेस्टोर कराने से पूर्व प्रथम बार खारिजशुदा बाजदायरी प्रार्थना पत्र को नियमानुसार रेस्टोर कराया जाना चाहिए। अतः इसी आधार पर प्रार्थी/अप्रार्थी का यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 03/2014 खारिज किया जावे।</p> <p>अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन एवं अपील व प्रार्थना पत्र बाजदायरी का अवलोकन किये जाने के उपरान्त यह तथ्य प्रकट होते हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अपर जिला कलक्टर नागौर दिनांकित 30.11.2002 अन्तर्गत अपील संख्या 25/2002 बउनवान शेर मौहम्मद बनाम हुरमत बानो के विरुद्ध न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर मे प्रस्तुत की गई जिसका प्रकरण संख्या 44/2003 बउनवान हुरमत बानो बनाम शेर मौहम्मद है। यह अपील दिनांक 27.10.2007 को अपीलार्थी व उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति मे अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज कर दी गई। अपील संख्या 44/2003 को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अभिभाषक एक बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण संख्या 07/2007 बउनवान हुरमत बानो बनाम शेर मौहम्मद है। यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 07/2007 भी दिनांक 10.12.2013 को प्रार्थी/अपीलार्थी एवं उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति मे अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा खारिज कर दिया गया।</p> <p>प्रस्तुत अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर से जिला नागौर का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को हस्तान्तरित होने के कारण हस्तान्तरित होकर न्यायालय हाजा मे दिनांक 22.09.2016 मे प्राप्त हुई है। बाजदायरी प्रार्थना पत्र संख्या 03/2014 बउनवान हुरमत बानो बनाम शेर मौहम्मद, के अवलोकन से यह कही प्रकट नहीं होता है कि यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र मूल अपील संख्या 44/2003 बउनवान हुरमत बानो बनाम शेर मौहम्मद मे प्रस्तुत किया गया है अथवा बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रथम बा.दा.प्रकरण संख्या 07/2007 मे प्रस्तुत किया गया है ? मूल अपील मे प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र एक मर्तबा खारिज कर दिया गया तो दोबारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र मूल अपील को रेस्टोर कराने से पूर्व प्रथम बार खारिजशुदा बाजदायरी प्रार्थना पत्र को नियमानुसार रेस्टोर कराया जाना चाहिए तदुपरान्त ही मूल अपील रेस्टोर की जा सकती है।</p> <p>अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण तथा नियमानुसार इस न्यायालय में पोषनीय नहीं होने से अस्वीकार होकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखील दफ्तर हो ।</p>	

**संभागीय आयुक्त**  
अजमेर

